C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXX, Fourteenth Session, 2018/1939 (Saka)

No. 14, Tuesday, March 13, 2018/Phalguna 22, 1939 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 241	11-14
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 242 to 260	15-64
Unstarred Question Nos. 2761 to 2990	65-719

PAPERS LAID ON THE TABLE	721-729
STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY	
45th to 49th Reports	730
STANDING COMMITTEE ON DEFENCE	
37th to 43rd Reports	731-733
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	
38th and 39th Reports	733
STANDING COMMITTEE ON LABOUR	
34th to 36th Reports	734
STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS	
23rd Report	734
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES	
20th and 21st Reports	735

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

43rd to 45th Reports 735-736

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

46th to 48th Reports 736

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

38th to 41st Reports 737

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS

209th Report 737

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS

309th to 315th Reports 738

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1838 DATED 06.03.2018 REGARDING DAMAGED WHEAT IN PUNJAB ALONGWITH REASONS FOR DELAY 739

STATEMENT BY MINISTER

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Persons affected by Alcoholism and Substance (Drugs) abuse, their treatment/rehabilitation and role of voluntary organizations', pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment

Shri Thaawar Chand Gehlot 739

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need to provide financial assistance for pending irrigation projects in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 741-742

(ii) Need to undertake desiltation of Ohan and Barua dams in Chitrakoot district in Uttar Pradesh

Shri Bhairon Prasad Mishra 743

(iii) Need to develop Ambala and its adjoining cities in Haryana as an industrial hub

Shri Rattan Lal Kataria 744-745

(iv) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Maharajganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Pankaj Chaudhary 746

(v) Need to formulate a comprehensive policy for water conservation in the country

Shri Harish Chandra Meena 747-748

(vi) Need to set up a cement factory at Barmer or Jaisalmer in Rajasthan and also send an expert team to report on the feasibility of setting up mineral based industries in the region

Col. (Retd.) Sona Ram Choudhary 749-750

(vii) Need to provide stoppage of Aradhana Superfast Express (Train no. 12905/06) at Wardha in Maharashtra

Shri Ramdas C. Tadas 751

(viii) Need to expedite interlinking of river projects in Dindori Parliamentary Constituency in Maharashtra

Shri Harishchandra Chavan 752

(ix) Need to constitute Legislative Council in Madhya Pradesh

Shrimati Riti Pathak 753

(x) Need to improve BSNL mobile service in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Mansukhbhai D. Vasava 754

(xi) Need to develop local village markets as Gramin Krishi Bazaar in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 755

(xii) Need to accord B-2 category status to Udaipur city

Shri Arjunlal Meena 756

(xiii) Need to issue 'IZZAT' monthly train pass to the labourers of unorganized sector in Chamarajanagar Parliamentary Constituency, Karnataka

Shri R. Dhruvanarayana 757-758

(xiv) Need to shut down the polluting Sterlite Industries in Thoothukkudi Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

Shri J. J. T. Natterjee 759-760

(xv) Need to modernise Katpadi and Marudalam Railway stations in Tamil Nadu

Shri G. Hari 761-762

(xvi) Need to improve the BSNL mobile service in Arambagh Parliamentary Constituency, West Bengal

Shrimati Aparupa Poddar 763

(xvii) Need to ban the pesticides classified as hazardous by the World Health Organisation

Shri Dinesh Trivedi 764

(xviii) Need to extend railway line from Junagarh to Ampani in Odisha

Shri Arka Keshari Deo 765

(xix) Need to accord Special Category Status to Andhra Pradesh

Shri Jayadev Galla 766-767

(xx) Need to develop Son Bheel in Karimganj district, Assam as a tourist spot

Shri Radheshyam Biswas 768-769

(xxi) Need to protect the land rights of tribal people in the Land Acquisition Act, 2013

Shri Vijay Kumar Hansdak 770

(xxii) Need to accord special category status to Bihar

Shri Kaushalendra Kumar 771

(xxiii) Need to protect interests of small and marginal farmers of Kerala from the possible repercussions of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership

Shri Jose K. Mani 772-773

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 775

Member-wise Index to Unstarred Questions 776-781

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 782

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 783

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 13, 2018/Phalguna 22, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

…(व्यवधान)

11 01 hrs

(At this stage, Shri K. Parasuraman, Shri B. Vinod Kumar, Shri Thota Narasimham, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Mekapati Raja Mohan Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-241- श्री एम.श्रीनिवास राव ।

…(व्यवधान)

HON.SPEAKER: Yes, Mr. Minister. Is Agriculture Minister there?

…(व्यवधान)

11 02 hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER : Question No. 241, Shri M. Srinivasa Rao.

(Q. 241)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT) : A statement is laid on the Table of the House.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र: माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं उससे पूर्णत: संतुष्ट हूँ कि पूरे देश में कृषि के लिए जो बहुत जरूरत है, उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जा रहे हैं। …(व्यवधान) लेकिन उत्तर प्रदेश में, जो बहुत बड़ा राज्य है, वहां पर अभी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। …(व्यवधान) उसका दूसरा चरण अभी चालू है।…(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो दूसरा चरण चल रहा है, उसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब तक सभी किसानों को बांट दिए जाएंगे? …(व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): महोदया, शुरूआत में सॉयल हैल्थ कार्ड योजना की गति बहुत धीमी थी। …(व्यवधान) व्यवस्था परिवर्तन के बाद इसमें तेजी आई है और दूसरे चरण में भी सॉयल हैल्थ नमूना लेनेका काम अब तेजी से हो रहा है। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 00 o'clock.

11 04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

<u>12 00 hrs</u>

The Lok Sabha reassembled at 12 00 of the Clock

*(*Hon. Speaker *in the Chair)*

<u>12 0 ½ hrs</u>

(*At this stage, Shri P.R. Sundaram, Shri Jayadev Galla, Prof. A.S.R. Naik, Shrimati Butta Renuka, Shri Kalyan Banerjee, and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*)

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मगर मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(<u>व्यवधान</u>)

12 01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table.

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): महोदया, मैं लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2016-2017 (वाल्यूम-I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8858/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Appropriation Accounts (Part I-Review) of the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2016-2017.

(ii) Appropriation Accounts (Part II- Detailed Appropriation Accounts) of the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2016-2017.

(iii) Appropriation Accounts [Part II- Detailed Appropriation Accounts (Annexure-G)] of the Ministry of Railways (Railway Board) for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8859/16/18]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 2 of 2018)–(Compliance Audit) Scientific and Environmental Ministries/Departments for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8860/16/18]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways)(No. 45 of 2017) – Maintenance of track on heavy traffic sections over Indian Railways for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8861/16/18]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 1 of 2018)-Railways Finances for the year ended March, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8862/16/18]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोतम रूपाला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):--

(एक) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8863/16/18]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8864/16/18]

(3) (एक) के.एस.जे. हाई स्कूल, संबल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) के.एस.जे. हाई स्कूल, संबल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8865/16/18]

(5) (एक) नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फार द ब्लाइंड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8866/16/18]

(7) (एक) विमला महिला समाजम, एर्णाकुलम, केरल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)) विमला महिला समाजम, एर्णाकुलम, केरल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8867/16/18]

(9) (एक) स्वीकार अकादमी आफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)) स्वीकार अकादमी आफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8868/16/18]

(11) (एक) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2010-2011 से 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8869/16/18]

(13) (एक) केरल फेडरेशन आफ द ब्लाइंड, तिरूवंतपुरम के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)) केरल फेडरेशन आफ द ब्लाइंड, तिरूवंतपुरम के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8870/16/18]

(15) (एक) शुभम विकलांग विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो)) शुभम विकलांग विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8871/16/18]

(17) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीटयूट आफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीटयूट आफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8872/16/18]

(19) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट फार लोकोमोटर डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट फार लोकोमोटर डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8873/16/18]

(21) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीटयूट फार पर्सन्स विद फिजिकल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन),नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीटयूट फार पर्सन्स विद फिजिकल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन),नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8874/16/18]

(23) (एक) नेशनल इंस्टीटयूट इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद विजुवल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीटयूट इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद विजुवल डिसैबिलिटीज (दिव्यांगजन), देहरादून के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8875/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under article 309 of the Constitution: -

(1) The National Fire Service College, Nagpur (Assistant Store Keeper) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1517(E) in Gazette of India dated 15th December, 2017.

(2) The National Fire Service College, Nagpur (Assistant Director) Recruitment Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.11 in Gazette of India dated 10th January, 2018.

(3) The National Fire Service College, Nagpur (Instructor) Recruitment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.28 in Gazette of India dated 18th January, 2018.

[Placed in Library, See No. LT 8876/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8877/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Small Farmers' Agri-Business Consortium, New Delhi, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Small Farmers' Agri-Business Consortium, New Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8878/16/18]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955:-

(i) The Fertiliser (Control) Amendment Order, 2018 published in Notification No. S.O.510(E) in Gazette of India dated 3rd February, 2018.

(ii) S.O.4120(E) published in Gazette of India dated 30th December, 2017 making certain amendments in Notification No. S.O.2900(E) dated 24th October, 2015.

(iii) S.O.359(E) published in Gazette of India dated 24th January, 2018 notifying fertilisers, mentioned therein, as customised fertiliser for a period of four years from the date of publication of the notification under clause 20B of the Fertilizer (Control) Order, 1985.

[Placed in Library, See No. LT 8879/16/18]

12 02 hrs

STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY

45th to 49th Reports

SHRI VIRENDER KASHYAP (SHIMLA): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Information Technology (2017-18):-

(1) Forty-fifth Report on Demands for Grants (2018-19) relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

(2) Forty-sixth Report on Demands for Grants (2018-19) relating to the Ministry of Electronics and Information Technology.

(3) Forty-seventh Report on Demands for Grants (2018-19) relating to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

(4) Forty-eighth Report on Demands for Grants (2018-19) relating to the Ministry of Communications (Department of Posts).

(5) Forty-ninth Report on 'Review of the functioning of Song and Drama Division' relating to the Ministry of Information and Broadcasting.

---

12 03 hrs

STANDING COMMITTEE ON DEFENCE

37^{th} to 43^{rd} Reports

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): I beg to present the following Reports (Hindi and English Versions) of the Standing Committee on Defence:

(1) Thirty-seventh Report on 'Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Twenty-eighth Report (16th Lok Sabha) on General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Canteen Stores Department, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pensions, Ex-Servicemen Contributory Health Scheme'.

(2) Thirty-eighth Report on 'Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the Thirtieth Report (16th Lok Sabha) on Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps'.

(3) Thirty-ninth Report on 'Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in Thirty-fourth Report (16th Lok Sabha) on Provision of Medical Services to Armed Forces including Dental Services'.

(4) Fortieth Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on General Defence Budget, Border Roads Organisation, Indian Coast Guard, Military Engineer Services, Directorate General Defence Estates, Defence Public Sector Undertakings, Welfare of Ex-Servicemen, Defence Pensions and Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (Demand No. 19 & 22)'.

(5) Forty-first Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 on Army, Navy and Air Force (Demand No. 20)'.

(6) Forty-second Report of the Standing Committee on Defence (16th Lok Sabha) on `Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018- 19 on Capital Outlay on Defence Services, Procurement Policy and Defence Planning (Demand No. 21)'.

(7) Forty-third Report of the Standing Committee on Defence(16th Lok Sabha) on 'Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2018-19 pertaining to Revenue Budget of Ordnance Factories, Defence Research and Development Organisation, DGQA and NCC (Demand No. 20)'.

---

12 04 hrs

STANDING COMMITTEE ON ENERGY
38th and 39th Reports

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISAKHAPATNAM): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Energy (2017-18):-

(1) Thirty-eighth Report on Demands for Grants relating to the Ministry of Power for the year 2018-19.

(2) Thirty-ninth Report on Demands for Grants relating to the Ministry of New and Renewable Energy for the year 2018-19.

---

12 04 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR
34th to 36th Reports

डॉ.किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(3) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

---

12 05 hrs

STANDING COMMITTEE ON PETROLEUM AND NATURAL GAS

23rd Report

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): I beg to present the Twenty-third Report on 'Demands for Grants (2018-19)' (Hindi and English versions) of the Ministry of Petroleum and Natural Gas.

---

12 05 ¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

20th and 21st Reports

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2017-18) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

(2) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) की समीक्षा' विषय के बारे में 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

---

12 05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

43rd to 45th Reports

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers:-

(1) Forty-third Report on 'Demands for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Fertilizers).

(2) Forty-fourth Report on 'Demands for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).

(3) Forty-fifth Report on 'Demands for Grants 2018-19' of the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals).

---

12 05 ¾ hrs

STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT

46th to 48th Reports

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Rural Development:-

(1) Forty-sixth Report on 'Demands for Grants (2018-19)' of the Ministry of Rural Development (Department of Rural Development).

(2) Forty-seventh Report on 'Demands for Grants (2018-19)' of the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources).

(3) Forty-eighth Report on 'Demands for Grants (2018-19)' of the Ministry of Panchayati Raj.

---

12 06 hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL

38th to 41st Reports

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 39वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2018-19) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित 'खनन क्षेत्र में कौशल विकास' विषयक समिति के 32वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 41वां प्रतिवेदन।

---

12 06 ¼ hrs

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS

209th Report

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): I beg to lay on the Table the Two Hundred Ninth Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs on the Demands for Grants (2018-19) of the Ministry of Home Affairs.

---

12 06 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS

309th to 315th Reports

DR. K. GOPAL (NAGAPATTINAM): I beg to lay on the table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

(1) Three Hundred Ninth Report on Demands for Grants (2018-2019) of the Department of Biotechnology.

(2) Three Hundred Tenth Report on Demands for Grants (2018-2019) of the Department of Science & Technology.

(3) Three Hundred Eleventh Report on Demands for Grants (2018-2019) of the Department of Scientific & Industrial Research.

(4) Three Hundred Twelfth Report on Demands for Grants (2018-2019) of the Department of Space.

(5) Three Hundred Thirteenth Report on Demands for Grants (2018-2019) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(6) Three Hundred Fourteenth Report on Demands for Grants (2018-2019) of the Department of Atomic Energy.

(7) Three Hundred Fifteenth Report on Demands for Grants (2018- 2019) of the Ministry of Earth Sciences.

---

12 07 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1838 DATED 06.03.2018 REGARDING DAMAGED WHEAT IN PUNJAB ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRIES (SHRI C.R. CHAUDHARY): I beg to lay a Statement correcting the reply given on 06.03.2018 to Unstarred Question No. 1838 (Hindi version) by Shri K. Ashok Kumar, MP, regarding 'Damaged Wheat in Punjab'.

---

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 8881/16/18.

अधिप्रमाणित

(सी.आर. चौधरी)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

नई दिल्ली

दिनांकः 7.03.2018

"पंजाब में नष्ट हुई गेहूं" के बारे में **श्री के. अशोक कुमार**, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए और लोक सभा में दिनांक 06.03.2018 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1838 के उत्तर के **भाग (ख) और (ग**) में संशोधन हेतु उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य

प्रश्न	पहले दिया गया उत्तर	भाग (ख) और (ग) का संशोधित उत्तर
(क) क्या यह सच है कि निज़ी उद्यमी गारंटी योजना, जिससे राज्य में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता बढ़ने की आशा थी, के कार्यान्वयन में विलंब की वजह से पंजाब में 700.30 करोड़ रुपए मूल्य की 4.72 लाख टन से अधिक गेहूं मार्च, 2016 तक नष्ट हो गई; (ख) क्या यह सच है कि नष्ट गेहूं को सार्वजनिक वितरण हेतु गैर-जारी करने योग्य गेहूं घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने उसका खुले क्षेत्र	(क) 31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए कवर्ड और प्लिंथ (कैप) भंडारण में पंजाब में राज्य एजेंसियों के पास रखे विभिन्न फसल वर्षों के 4.72 लाख टन जारी न करने योग्य/क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के स्टॉक की मात्रा मुख्य रुप से स्टॉक का गलत तरीके से रखरखाव करने के कारण थी। राज्य की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरुरतों को पूरा करने हेतु भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के	(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता, उपर्युक्त (क) में उल्लिखित खाद्यान्नों का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था।

में भंडारण किया था; और (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?	लिए 28.07.2008 को निजी उद्यमी गारंटी स्कीम लागू की गई थी। आरंभ में इस स्कीम के लिए उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। कई बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी और निरंतर प्रयास जारी रखे गए थे। विलम्ब, निविदाओं के प्रति पार्टियों की निराशाजनक प्रतिक्रिया और कोट की गई उच्च दरों के कारण हुआ था। निराशाजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए गारंटीशुदा किराए की अवधि को आरंभ में 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष और बाद में 10 वर्ष कर दिया गया था। इस बात को देखते हुए पंजाब में 2011-2012 में 38.84 लाख टन की अधिकतम क्षमता का कार्य सौंपा गया था जो 2013-14 और 2014-15 में पूर्ण हो गया था। भरतीय खाद्य निगम द्वारा सुपुर्दगी में ली गई निजी उद्यमी गारंटी स्कीम के गोदामों की क्षमता 40.88 लाख टन थी। इन क्षमताओं ने तत्पश्चात पंजाब में कैप/कच्चा प्लिंथ/मंडियों में गेहूं के स्टॉक में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। (ख) और (ग); बफर गोदाम मलोट (फरीदकोट), पंजाब के कैप में बाढ़ के कारण 2015-16	

	के दौरान फसल वर्ष 2013-14 का केवल 0.528 टन गेहूं खाद श्रेणी में क्षतिग्रस्त के रुप में घोषित किया गया था।	

विलम्ब का कारण

उक्त त्रुटि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ध्यान में दिनांक 06.03.2018 को उत्तर को लोक सभा के पटल पर रखे जाने के बाद आई थी। तत्पश्चात उत्तर के संशोधित पाठ के लिए माननीय राज्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ समय लग गया था। अतः यह विलम्ब हुआ है।

---

12 07 ½ hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 25th Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment on 'Persons affected by Alcoholism and Substance (Drugs) abuse, their treatment/rehabilitation and role of voluntary organizations', pertaining to the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): अध्यक्ष महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित ''शराब की लत और नशीली दवाओं के सेवा के शिकार व्यक्ति, उनका उपचार/पुनर्वास और स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका" के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8882/16/18

12 08 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House as per practice.

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to provide financial assistance for pending irrigation projects in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। झारखंड के लगभग 76 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं एवं कुल कृषि श्रम शक्ति का 66.85 प्रतिशत कृषि पर आधारित है। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.72 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 29.74 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें से 24.25 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है। कुल 943.43 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकी है, जो कुल कृषि योग्य भूमि का 31.70 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 67 प्रतिशत का है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र 13 प्रतिशत ही सुनिश्चित सिंचाई सुविधा के अंतर्गत आता है तथा शेऐ 87 प्रतिशत भाग वर्ष आधारित ही है। कृषि योग्य भूमि को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए राज्य के जल संसाधनों के विकास की बहुत आवश्यकता है। राज्य में कई नदियों का प्रवाह होता है, फिर भी राज्य सिंचाई के लिए पानी की कमी से जूझता है, जिसका मुख्य कारण यहां के जल संसाधनों का समुचित विकास नहीं हो पाना है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान केद्र सरकार एवं झारखंड राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का है। इसके लिए कृषि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था द्वारा सिंचाई में सुधार के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) में पांच सालों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

PMKSY में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 99 चालू वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में झारखंड की एकमात्र सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय योजना शामिल है, जिसके लिए वर्ष

2016-17 में 145.75 करोड़ रुपये दिए गए थे, परंतु वर्ष 2017-18 में कोई राशि नहीं दी गई। इसके अलावा PMKSY के उपघटक कमान क्षेत्र एवं जल प्रबंधन (CAD & WM) के अंतर्गत झारखंड राज्य को क्रमशः वर्ष 2015-16,2016-17, एवं 2017-18 में कोई केद्रीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई योजनाएं उत्तर कोयल जलाशय, औरंगा जलाशय योजना, अमानत बैराज, गरही, मुहाने एवं मलय आदि परियोजनाएं प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के अलावा गोलाई, दुलकी, अन्जनवा, मलय, चाको, पिरी, सोनरे, रामघाट, नकटीनाला, घाघरी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से मांग करता हूँ कि वह उपरोक्त वर्णित इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त केद्रीय सहायता राशि उपलब्ध करवाने में आवश्यक कार्रवाई करे। साथ ही PMKSY में सुवर्ण रेखा बहुद्देश्यीय योजना तथा उपघटक कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CAD & WM) के अंतर्गत झारखंड राज्य को भी बजट आवंटित किया जाए।

(ii) Need to undertake desiltation of Ohan and Barua dams in Chitrakoot district in Uttar Pradesh

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में सिंचाई के प्रमुख साधनों में बरुवा एवं ओहन बांध हैं। लेकिन उनमें पानी पर्याप्त इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनमें वर्षों से सिल्ट की सफाई नहीं होने से तलहटी पर सिल्ट (गाद) बड़ी मात्रा में जमा हो गयी है। अस्तु सरकार से अनुरोध है कि उक्त दोनों बांध ओहन तथा बरुवा में यथाशीघ्र सिल्ट (गाद) की सफाई कराने हेतु योजना इस गर्मी के सीजन में बनाई जाए जिससे अगले वर्ष किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो सके।

(iii) Need to develop Ambala and its adjoining cities in Haryana as an industrial hub

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं मान्यवर प्रधानमंत्री जी का ध्यान दिल्ली व एनसीआर रीजन में बढ़ती हुई आबादी की ओर दिलाना चाहती हूँ। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वर्ष 2022 में ऐसा अनुमान है कि न तो दिल्ली अन्तर्राज्यीय बस अड्डे न नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और न ही हवाई अड्डे पर पैर रखने की जगह होगी।

दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की स्थिति और भी विस्फोटक बनती जा रही है। मेरा निवेदन है कि अम्बाला पांच राज्यों का (पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, उत्तराखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश) का केद्र बिन्दु है। अगर अम्बाला से कुरूक्षेत्र, अम्बाला से पटियाला, अम्बाला से चण्डीगढ़, अम्बाला से यमुनानगर, जगादरी को मिलाकर अम्बाला को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया जाता है तो 2050 तक इस क्षेत्र में हम रोजगार के नए अवसर प्रदान कर 2 करोड़ लोगों का समावेश कराने में सफल रहेंगे। जिससे दिल्ली के ऊपर जनसंख्या का दबाव भी कम होगा। जीएसटी लागू होने के बाद अम्बाला के इस केद्र बिन्दु पर लोग अपने-अपने लाजिस्टिक वेयरहाउस खड़ा करने में कामयाब रहेंगे जिससे उपरोक्त राज्यों में वस्तुओं के आवागमन में भी सहायता मिलेगी। यह एक आरक्षित क्षेत्र है और वैसे भी हिमालय की बेल्ट के साथ शिवालिक पहाड़ियों से जुड़ा 150 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र विकास के लिए तरस रहा है।

आपने एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया है। उसी कड़ी में आज अम्बाला को औद्योगिक गतिविधियों का केद्र बनाने में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। इसके लिए मैं तथा क्षेत्र के लोग आपके सदा आभारी रहेंगे।

(iv) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Maharajganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद महराजगंज (उ.प्र.) में एक नये केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु जिला प्रशासन महाराजगंज द्वारा 6.5 एकड़ भूमि तथा नये केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी संचालन हेतु जी.जी.आई.सी भवन नःशुल्क उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी स्वीकृति माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ द्वारा केद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग को प्रेषित कर दी गई है। किन्तु अब तक नये केद्रीय विद्यालय की स्थापना तथा वर्तमान शिक्षा सत्र में नवीन केद्रीय विद्यालय का अस्थायी संचालन शुरू नहीं हो सका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के पत्र के अनुसार भवन तक जाने के लिए संपर्क मार्ग तथा शौचालय निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लिखित रूप से केद्रीय विद्यालय संगठन को स्वीकृति प्रेषित कर दी गयी है।

मेरा अनुरोध है कि सरकार जनपद महाराजगंज (उ.प्र.) में एक नये केंद्रीय विद्यालय के शीघ्र स्थापना तथा वर्तमान सत्र में अस्थायी संचालन प्रारंभ करने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

(v) Need to formulate a comprehensive policy for water conservation in the country

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं केद्र सरकार का ध्यान देश में बढ़ रही पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करवाना चाहूंगा । साउथ अफ्रीका की राजधानी केप-टाउन में चल रही पेयजल की समस्या से हम सभी भली-भांति अवगत है। आज वह शहर पीने के पानी के लिए तरस रहा है।

पीने के पानी की समस्या देश में साल दर साल गंभीर होती जा रही है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी और जमीन के नीचे के पानी के अंधाधुंध दोहन के साथ ही जल संरक्षण पर कोई कारगर नीति नहीं होने की वजह से देश का भविष्य खतरे में दिख रहा है।

दौसा सहित राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में गर्मियों के आते ही पारा चढ़ने के बाद पीने के पानी की समस्या बढ़ने लगती है। स्वच्छ पीने का पानी आमजन को उपलब्ध करवाना यह सरकार का कर्तव्य है। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। गंदे पानी को पीने के कारण लोग पेट और संक्रमण की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। एक ओर तो गांवों में साफ पानी नहीं मिलता तो दूसरी ओर, महानगरों में वितरण की कमियों के चलते रोजाना लाखों गैलन साफ पानी बर्बाद हो जाता है। बारिश का अधिकतर पानी बह कर नालियों में चला जाता है।

आखिर पानी की इस लगातार गंभीर होती समस्या की वजह क्या है? नदियों का देश होने के बावजूद ज्यादातर नदियों का पानी पीने लायक और कई जगह नहाने लायक तक क्यूं नहीं है?

नदियों को साफ करने के लिए शुरू अनेक कार्यक्रम व योजनाएं लाई गई लेकिन आज भी इन नदियों का प्रदूषण से मुक्त नहीं कर सके हैं। पानी की कमी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार

ने जल संरक्षण की दिशा में अब तक कोई बड़ी वजह यह है कि सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई है।

अतः मेरा अनुरोध है कि जल संरक्षण की दिशा में सरकार कोई ठोस नीति लाये, ऐसा नहीं होने पर निकट भविष्य में पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसना होगा।

(vi) Need to set up a cement factory at Barmer or Jaisalmer in Rajasthan and also send an expert team to report on the feasibility of setting up mineral based industries in the region

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर): मेरा संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर सीमावर्ती एवं मरूस्थलीय क्षेत्र में भौगोलिक विऐमताओं के कारण यह क्षेत्र आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 60000 वर्ग किमी है। जिसकी जनसंख्या 35 लाख है । पश्चिमी राजस्थान की 1070 किमी सीमा जो पाकिस्तान से लगी है। जिसमें से मेरा संसदीय क्षेत्र भारत-पाक सीमा से लगभग बाडमेर की 270 किमी एवं जैसलमेर की 464 किमी कुल 734 किमी से ज्यादा सटा क्षेत्र है । इस क्षेत्र में भारी मात्रा में आर्मी, एयरफोर्स एवं पैरामिलिट्री फोर्सेज है । यहां रोजगार के साधन नहीं होने से स्थानीय लोग उत्तर दक्षिणी औद्योगिक नगरों एवं महानगरों में रोजगार हेतु पलायन करते हैं। देश के शून्य उद्योग वाले जिलों में जैसलमेर का नाम आता है । प्रकृति की असीम कृपा से अब हालात बदल गये हैं। अब यहां धरा की कोख में लिग्नाईट, ग्रेनाईट, मैगनाईट, जिप्सम, मार्बल, स्टीलग्रेड लाईम, बैन्टोनाईट लाईम स्टोन एवं मैसेनरी स्टोन के अपार भंडार मिलते है एवं इंदिरा गांधी नहर एवं नर्मदा नहर आधारित परियोजनाओं से पानी भी उपलब्ध हो गया है। यहां उद्योग हेतु प्रचुर मात्रा में भूमि भी है। वर्तमान में बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में भादरेस में 1080 मेगावाट के लिग्नाईट पॉवर प्रोजेक्ट उपयोगी राख और जैसलमेर में सोनू में लाईम स्टोन का भरपूर भंडार होने के बावजूद दोनों जिलों में सीमेंट के कारखाने स्थापित नहीं हो पा रहा हैं । विडम्बना है कि सीमेंट के लिए राख एवं लाईम स्टोन दोनों ही यहां से सिरोही, जोधपुर, ब्यावर, चित्तौड़ एवं अन्यत्र भेजी जा रही है और ताज्जुब है कि प्रतिदिन 3500 टन बनने वाली राख तो बाडमेर से मुफ्त में ही अन्यों को दी जा रही है। वर्तमान में 1080 मेगावाट लिग्नाईट पॉवर प्लांट इकाईयां भादरेस से संचालित हैं, 660 मेगावाट की इकाईयां प्रस्तावित हैं । 250 मेगावाट की गिरल लिग्नाईट इकाईयां बंद पड़ी हैं । यहां वर्तमान 25000

टन कोयला प्रतिदिन काम में लिया जा रहा है। 3500 टन राख प्रतिदिन प्लांट में बनती है। 20 हजार मैट्रिक टन लाइम स्टोन का प्रतिदिन जैसलमेर सोनू से निर्यात किया जा रहा है। पर्याप्त जल और भूमि भी उपलब्ध है। बाडमेर-जैसलमेर रेलवे लाइन से भी जुड़ा है। साथ ही वर्तमान में तो जैसलमेर भाभर नई रेलवे लाइन का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। अर्थात् उद्योग हेतु आवश्यक सभी साधन उपलब्ध है। स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने, व्यावसायिक तौर पर किफायती होने, आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण मेरा केद्र एवं राज्य सरकार से विशेष आग्रह है कि प्रचुर मात्रा में प्रकृति सम्पदा, संसाधन, मानव संसाधन, परिवहन साधन, भूमि आदि की उपलब्धता एवं संभावनाओं को देखते हुए बाड़मेर या जैसलमेर दोनों में से किसी भी एक स्थान पर सीमेंट कारखाने खोले जायें एवं यहां उपलब्ध खनिजों पर आधारित अन्य उपयुक्त उद्योगों को विकसित करने के लिए विशेषज्ञ दल से अध्ययन करवाया जाये ताकि अन्य उद्योगों की संभावना बन सके।

(vii) Need to provide stoppage of Aradhana Superfast Express (Train no. 12905/06) at Wardha in Maharashtra

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा): मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए बताना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा में महात्मा गाँधी जी का सेवाग्राम आश्रम है, जो महात्मा गाँधी जी की कर्मभूमि रही है। भारतीय रेल द्वारा पोरबंदर से हावड़ा वाया वर्धा सेवाग्राम आराधना सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12906/12905) का परिचालन होता है। यदि इस एक्सप्रेस ट्रेन को वर्धा (सेवाग्राम) में ठहराव दिया जाए, तो सीधे तौर पर गाँधी जी की जन्मभूमि पोरबंदर संदीनी आश्रम से वर्धा (सेवाग्राम) आश्रम से जुड़ेगा एवं पोरबंदर एवं सेवाग्राम इन दोनों पर्यटन स्थलों का विकास रेलसेवा के माध्यम से होगा तथा पर्यटकों को सुविधा भी होगी। वर्ष 2019 में महात्मा गाँधी जी की 150वीं जन्म शताब्दी होने वाली है।

अतः आग्रह है कि इस ट्रेन का ठहराव वर्धा रेलवे स्टेशन पर देने की कृपा करें।

(viii) Need to expedite interlinking of river projects in Dindori Parliamentary Constituency in Maharashtra

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी): मेरा संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक भाग है। इस संसदीय क्षेत्र में किसान परिवार खेती-बाड़ी और वनों पर निर्भर है। इस क्षेत्र में कई नदियाँ हैं परन्तु किसानों को इन नदियों से सिंचाई के लिए आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिला पा रहा है। कई सालों से मेरा संसदीय क्षेत्र सूखाग्रस्त रहा है। गत वर्ष बेमौसम वर्ष से किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। मेरे संसदीय क्षेत्र के नांदगांव, येवला, चांदवड, मालेगांव, निफाडा देवका, सुरगाण पेठ आदि तहसीलों में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का अभाव है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बनाये रखने के लिए कुछ नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू करने के लिए कई वर्षों से बैठक एवं विचार किया गया जिसमें पार-तापी-नर्मदा नदियों के जोड़ने से वार्षिक सिंचाई 2.32 लाख हैक्टेयर एवं जल से विद्युत पैदा करने का प्रस्ताव है। दूसरा नदी सम्पर्क दमनगंगा-पिंजाल का है जिससे 895 एमसीएम घरेलू एवं औद्योगिक आपूर्ति होने की संभावना है। पार-तापी-नर्मदा एवं दमनगंगा-पिंजाल नदियों को जोड़ने का डीपीआर और साध्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है और वर्तमान सरकार नदियों को जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दे रही है जिसे कम पानी वाली नदियों को अधिक पानी वाली नदियों के साथ जोड़ा जा सके जिससे कम पानी वाली नदियों को बराबर पानी मिलेगा और अधिक पानी वाली नदियों को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने दमनगंगा-पिंजाल सम्पर्क में चार अंतर्राज्यीय सम्पर्क परियोजनाओं और समग्र आयोजना में पार-तापी नर्मदा सम्पर्क परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया था। ये नदी सम्पर्क योजनायें नार-पार-गिरना, पार-तापी-गोदावरी, दमनगंगा (डकडारे) - गोदावरी घाटी सम्पर्क और दमनगंगा-वेतरणा-गोदावरी (कडवादेव) है। इन दो परियोजनाओं और महाराष्ट्र द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं की जल, विद्युत लागत आदि की

साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन के मसौदे को सहमति के लिए महाराष्ट्र एवं गुजरात को भेज दी गई है।

मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी को सिंचाई लाभ पहुँचाने वाली सम्पर्क परियोजनायें नार-पार-गिरना, पार-तापी-गोदावरी, दमनगंगा (इकडार)- गोदावरी घाटी सम्पर्क और दमनगंगा-वेतरणा-गोदावरी (कडवादेव) को पूरा करने की जल, विद्युत लागत आदि की साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन के मसौदे की सहमति महाराष्ट्र एवं गुजरात सरकार से शीघ्र प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास किये जाये जिससे इन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके।

(ix) Need to constitute Legislative Council in Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): भारतीय लोकतंत्र की मनीषा है कि सरकार में सबका सरोकार हो, सबका सहकार हो, हमारी सरकार भी "सबका साथ व सबका विकास" को केद्र में रखकर गतिशील है।

हमारे यहाँ लोकसभा के साथ ही राज्यसभा के गठन की सुंदर व्यवस्था है, ठीक ऐसा ही राज्यों में विधान परिषदों के गठन की संवैधानिक मनीषा रही है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, इसके पीछे चुनावी चयन या राजनीति के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त लोगों के अध्ययन व अनुभवों को जानकर उसके उपयोग और लाभ को प्राप्त करने की मंशा है।

मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता और अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग लोगों की विशेषज्ञता होती है। जैसे खेल व खेल की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, साहित्य और उसकी विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग, किसानों के बीच, विद्यार्थियों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानकर उनके उत्थान के लिए काम करने वाले लोग, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, इन सभी प्रतिभाशाली लोगों के अनुभवों की हमें व सदन को आवश्यकता होती है।

किन्तु कई ऐसे राज्य हैं, जहाँ विधान परिषद के गठन की व्यवस्था नहीं है। मैं विशेषतया मध्य प्रदेश राज्य की बात कर रही हूँ। विधान परिषद के गठन के अभाव में कई दशकों से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं का लाभ हम नहीं ले सके। जबकि हमारे कई पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में विधान परिषदें गठित हैं, वे प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं।

मैंने सुना है कि राष्ट्रकवि दिनकर हमारे उच्च सदन के कभी हिस्सा हुआ करते थे, ऐसा इसलिए संभव हो सका है, क्योंकि देश में राज्य सभा की व्यवस्था है।

इसी प्रकार से हमारे प्रदेश में कई दिनकर, कई तेन्दुलकर जैसी प्रतिभाओं को हम विधान परिषद के अभाव में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद का होना विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए सुअवसर है, तो प्रदेश और सरकार के लिए अत्यंत उपयोगी।

मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से आग्रह करती हूँ कि हमारे राज्य मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर प्रतिभाओं को समुचित अवसर दिलाने का कष्ट करें।

(x) Need to improve BSNL mobile service in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): मैं सरकार का ध्यान अपने गृह राज्य गुजरात के दक्षिण क्षेत्र में बीएसएनएल की दोषपूर्ण एवं असंतोषजनक टेलीफोन एवं मोबाइल सुविधा की तरफ दिलाना चाहता हूँ। दक्षिण गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में बीएसएनएल की दूरसंचार सुविधा न के बराबर है। बीएसएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन एवं मोबाइल टेलीफोन से कनेक्टविटि नहीं मिल पाती है जिसके कारण आदिवासी क्षेत्र के लोग बीएसएनएल के टेलीफोन सुविधा से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखा गया है कि बीएसएनएल में अफसरों की भरमार है और तकनीकी दोष ठीक करने वाले और टेलीफोन एक्सचेंजों में काम करने वाले मजदूरों की अत्यंत कमी है। जबकि बी.एस.एन.एल. में सरकार का अरबों रूपए का निवेश हैं, उसका कोई लाभ लोगों को नहीं मिलता। बीएसएनएल के दोषपूर्ण कार्यों से इसका घाटा सबसे ज्यादा है और यह घाटा हर साल बढ़ रहा है जबकि दूसरी ओर देखे तो 2014 में दो प्राइवेट टेलीफोन केपनियाँ भी जो बढ़कर अब 113 हो गयी क्योंकि वे अच्छा काम कर रही है और लाभ कमा रही हैं। दूसरी तरफ सरकारी कंपनी बीएसएनएल का बुरा हाल है। मेरे संसदीय क्षेत्र के मोवी-चौकडी जो नर्मदा जिला और भरूच जिले में राजपीपला देडयापाडा और नेत्रग तीन तहसील की बॉर्डर मिलती है। मोवी चोकडी के आसपास बीएसएनएल का टावर लगाने के लिए दो वर्षों से मांग कर रहा हूँ, ये टावर जल्द लगाए जायें।

मैं संचार मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच अंतर्गत नर्मदा एवं भरूच जिले के टेलीफोन विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, जिससे देश के राजस्व का सदुपयोग हो सके।

(xi) Need to develop local village markets as Gramin Krishi Bazaar in Maharajganj Parliamentary Constituency, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान अपना खून-पसीना बहाकर, कठोर शारीरिक परिश्रम से अन्न, सब्जी, फल सहित अन्य कृषि उत्पाद का उत्पादन करते हैं। देश की आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा उत्पादित फसल को सीधे बाजार में बेचने की कोई कारगर व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिस कारण आज देश में किसानों की हालत दयनीय हैं, इनकी दुर्दशा से हम सभी भलीभांती अवगत हैं।

किसानों की उक्त स्थिति के मद्देनजर आज भारत सरकार द्वारा 2018-19 के बजट में किसानों के लिए उत्पाद सीधे बेचने हेतु **22000 ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार** में विकसित तथा उन्नत करने का निर्णय हम सभी के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यह निर्णय किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में काफी हद तक कारगर सिद्ध होगा।

अतः भारत सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में मेरा अनुरोध है कि बिहार राज्यान्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के प्रत्येक ब्लॉक जैसे महाराजगंज, गोरियाकोठी, लकड़ीनवीगंज, बसंतपुर, भगवानपुर, एकमा, जनता बाजार, माँझा, जलालपुर, बनियापुर, मशरक, तरैया, पानापुर और रसुआपुर में एक-एक ग्रामीण हाट को चिन्हित कर उसे ग्रामीण कृषि बाजार में विकसित और उन्नत करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कष्ट करें।

(xii) Need to accord B-2 category status to Udaipur city

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उदयपुर शहर की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पूर्व में उदयपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 4 लाख 51 हजार 200 थी। वर्ष 2001 को सरकारी रिकार्ड के अनुसार उदयपुर शहर की जनसंख्या में लगभग 23 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई थी। इस वृद्धि दर को यदि आधार माना जाये तो वर्ष 2016 तक जनसंख्या लगभग 5 लाख को पार कर चुकी है तथा उदयपुर शहर के पेरीफेरी के 34 राजस्व ग्रामों को यू.आई.टी. क्षेत्र में माना गया है, इन ग्रामों की जनसंख्या में वर्ष 2016 तक हुई वृद्धि को जोड़ा जाये तो वर्तमान जनसंख्या में वर्ष 2016 तक हुई वृद्धि को जोड़ा जाये तो वर्तमान जनसंख्या लगभग 7.50 लाख से ऊपर जाती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों और उदयपुर की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि उदयपुर शहर को अतिशीघ्र "बी-2" श्रेणी का दर्जा दिया जाये जिससे यहां के कर्मचारियों एवं आम जनता को "बी-2" श्रेणी के सभी लाभ प्राप्त हो सके।

(xiii) Need to issue 'IZZAT' monthly train pass to the labourers of unorganized sector in Chamarajanagar Parliamentary Constituency, Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): I would like to draw the kind attention of the Government that, as per Budget Speech for 2009-10, Ministry of Railways introduced "IZZAT" scheme and issued suitable directions through Commercial Circular No.24 of 2009. Hence any modification in this regard should be issued by Ministry of Railways only. But at present, as per the direction of Divisional Railway Manager, South Western Railways, Mysore (Karnataka) Railway Station Masters of Nanjangud and Chamarajanagar of my Constituency are demanding affidavit from NOTARY and PF Number and their construction company owner's signature etc. for the issuance of IZZAT pass. Daily wage building labourers have no PF No. and permanent construction company or Manager. They attend building labour works at different places on a day to day basis. Hence, they are unable to produce PF number and construction company name. On the basis of this direction, total 8,500 IZZAT pass holders of my Constituency are unable to use the benefit of the above Scheme.

Hence, I hereby urge the Union Government to direct the concerned Railway Officer to withdraw the above directions and issue IZZAT Monthly Train Pass to the Unorganized Sector of my Constituency as per the direction issued by the Ministry of Railways in Commercial Circular No.24 of 2009.

(xiv) Need to shut down the polluting Sterlite Industries in Thoothukkudi Parliamentary Constituency, Tamil Nadu

SHRI J.J.T. NATTERJEE (THOOTHUKUDI): The Sterlite Industries causing dangerous levels of environmental pollution is the most menacing problem faced by the people of Thoothukkudi Constituency. They are demanding for a permanent closure of the copper smelter unit. Sterlite has been at the centre of controversy right from its inception. The factory was polluting the environment and causing irreparable health hazards.

Tamil Nadu Pollution Control Board had issued a notice directing the Sterlite industries to close the plant. The copper smelter plant was not fit for operation and should not be permitted to commence operations in view of numerous incidents of excessive emissions of sulphur-dioxide. Due to this irreparable injury and hardship caused to the public, there is imminent threat and danger of a chemical disaster like the Bhopal Gas Tragedy.

Sterlite had been habitually negligent towards maintaining safety safeguards and is operating only on the basis of interim orders of the Supreme court after having been closed earlier. The Supreme Court had even asked Sterlite Industries to pay Rs. 100 crore as compensation for polluting environment. Amidst thi controversy, the Sterlite is planning to start Aluminium

plant soon. This will be completely against the interests of the people and their life is in great danger.

Therefore, I urge the Union Government to take appropriate stringent action against the highly polluting Sterlite Industries and make sure that their polluting units be closed immediately to save the lives of millions of people living in this region.

(xv) Need to modernise Katpadi and Marudalam Railway stations in Tamil Nadu

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): I would like to bring to the notice of the Government towards a very important long pending demand of the people of my Arakkonam Constituency with regard to Railways. Katpadi Junction is the name of the primary railway station of Vellore city, providing connections to virtually every city and town in India. Katpadi Railway Junction in Southern Railway needs to be modernized with all the state of art technology facilities. There is an urgent need for the construction of Railway Over Bridge at Katpadi and requires immediate financial support and execution. Katpadi is one of the important commercial centres with lots of educational institutes and major medical centre in this region. Number of commuters have increased tremendously mainly due to the Christian Medical College & Hospital (CMC), Vellore, Institute of Technology (VIT), the temple town of Tirupati and more recently the Golden temple at Sripuram, Vellore.

Katpadi Junction is important because the Chennai-Bangalore and Chennai-Mysore Shatabdi Express stop here and the only junction where the Shatabdi trains and all fast trains stop. More than 150 trains cross through Vellore's Katpadi Junction daily. Katpadi Junction handles more than 20,000 passengers a day and a floating population of over 25,000 people from various places. Marudalam Railway station is another important Railway Station which

needs to be upgraded. Platforms are to be extended and provided with all amenities.

Therefore, I urge the Government to expedite the construction of Railway Over Bridge and modernize the Katpadi Junction and Marudalam Station with all essential facilities.

(xvi) Need to improve the BSNL mobile service in Arambagh Parliamentary Constituency, West Bengal

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): My Parliamentary Constituency Arambagh is having internet connectivity problems. Landline connectivity is available, which is provided by BSNL. But as people do not get BSNL signal properly, they face problems. All activities get hampered.

I urge the Government to take corrective measures to improve the service of BSNL in interior parts of my Arambagh Constituency.

(xvii) Need to ban the pesticides classified as hazardous by the World Health Organisation

SHRI DINESH TRIVEDI (BARRACKPUR): In October 2017, a matter of crucial importance came to the forefront when 21 farmers lost their lives due to pesticide poisoning in Yavatmal district of Maharasthra. According to government data, pesticide poisoning has claimed the lives of 272 farmers in the last 4 years in Maharashtra alone. The special investigation team discovered that the pesticides that caused these deaths are Monocrotophos and Oxydemetonmethy, which are Class 1 hazardous pesticides under WHO. These pesticides which are being used by our farmers have been banned in 60 countries across the world. Punjab recently stopped the issue of fresh licences to 20 harmful pesticides. Since the power to completely ban the hazardous pesticides rests with the central government under the Insecticides Act, 1968, I urge the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to take cognizance of this matter and ban the pesticides classified as hazardous under Class I by WHO at the earliest.

(xviii) Need to extend railway line from Junagarh to Ampani in Odisha

SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): Expansion of railway line is considered as one of the parameters of economic development. Kalahandi my Parliamentary Constituency is located in the western Odisha region in the State of Odisha. My district is comparatively less developed than the coastal districts of the State. The extension of railway line from Junagarh to Ampani may be taken up during the current financial year by the Government in order to increase railway network as well as transportation of goods and services and easy movement of people of my district.

(xix) Need to accord Special Category Status to Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Even after more than 4 years of its bifurcation, Andhra Pradesh still stands at a disadvantageous position. There is no doubt that CM of Andhra Pradesh is sweating it out day in and day out to bring Andhra Pradesh at the level-playing field, but he is not able to do it fully.

The Government of India is aware of these problems and to overcome disadvantages, Union Government decided on 01-03-2014 to accord Special Category Status to Andhra Pradesh for 5 years to come out of financial handicap. The Union Government has promised to extend this to 10 years. But, so far no steps have been taken by the Government of India. Hence, I request Government of India to take following steps immediately so that Andhra Pradesh could come out of the present crisis:

1. Special Category Status should be conferred and it should be for 10 years to establish level playing field.

2. Implement Section 46(2) of AP Reorganisation Act which mandates Government of India giving grants, incentives in the form of special development package for Rayalaseema and Northern Andhra Pradesh on the lines of KBK and Bundelkhand.

3. Incentives to industries in the form of tax concessions, etc., at par with HP and Uttarakhand.

4. Government of India assured to build new capital Amaravati. It requires Rs. 3 Lakh crores. Rs. 43,000 crores be released in the next 5 years to construct essential infrastructure.

In the first half of Budget Session, FM made a statement that his team in Finance Ministry would discuss and finalize issues with officials from Finance Department of Government of Andhra Pradesh in 3-4 days. It is one month, but nothing has come out.

So, I request the hon. Prime Minister to implement Cabinet decision of conferring Special Category Status on Andhra Pradesh.

(xx) Need to develop Son Bheel in Karimganj district, Assam as a tourist spot

SHRI RADHESHYAM BISWAS (KARIMGANJ): In my constituency and District Karimganj in Assam, there is an idyllic place with natural beauty namely Son Bheel, which is the largest natural fishing site in Asia with hills on both east & west sides. It covers an area of 85 Sq. Km. during high flood and reduces to 35 Sq. Km. in normal summer season. It is surrounded by 35 villages with a population of 80,000. The residents of the villages around depend on the wet land for fishing & agricultural purpose. The speciality of Son Bheel is that during winter season it becomes fully farm land where rice cultivation is done and from March onwards it become a natural lake. Water and soil of Son Bheel is suitable for natural fish breeding and in winter season it become a migratory bird's sanctuary. The tragic part is that in the absence of any prohibitory measures, the migratory birds are mercilessly killed by people for food. By planning & developing Son Bheel, it can be used for various purposes. Firstly, by protecting and developing the area as non-fishing zone, natural breeding of total fishes can be increased, bird sanctuary can be developed and logging water can be used for irrigation purpose in winter season. Once Son Bheel is developed as protected natural fishery and tourist spot, naturalists, birds watchers and scientific researchers will

find it a suitable place to visit. Tourists can also undertake rafting, angling and boat ride. Above all, the economic condition of the area will improve. So, I urge upon the DONER Ministry to take immediate steps for developing Son Bheel by sending a specialist team for survey and planning.

(xxi) Need to protect the land rights of tribal people in the Land Acquisition Act, 2013

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): मैं सरकार का ध्यान केंद्र द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के मूल प्रावधानों से हटकर अध्यादेश लाये जाने की तरफ दिलाना चाहता हूँ जो झारखण्ड के करोड़ों आदिवासी-मूलवासियों के अधिकारों का हनन करने एवं मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का रास्ता बनाने के लिए लाया गया है जिसके कारण झारखण्ड राज्य के आदिवासी-मूलवासियों की जमीन को अधिग्रहित कर उन्हें भूमिहीन किया जा रहा है जिससे आदिवासी-मूलवासी विनाश की ओर जा रहे हैं । कई योजनाओं के क्रियान्वयन से उन्हें बड़े पैमाने पर विस्थापित कर उन्हें रोजगारविहीन किया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के मूल प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न होने दें जिससे देश के आदिवासी-मूलवासी अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास नि:संकोच ढंग से कर सकें।

(xxii) Need to accord special category status to Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : बिहार राज्य विकास की दौड़ में अत्यंत ही पिछड़ता जा रहा है। राज्य के अपने सीमित संसाधन होने के कारण सबसे पहले बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देकर वहाँ उद्योगों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस संबंध में राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से प्रयासरत है और केद्र से आग्रह करती आ रही है, किन्तु न तो पिछली सरकार और अब न ही मौजूदा सरकार राज्य के हित की बात कर रही है। यह तो बिहार के साथ पक्षपात और घोर अन्याय किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसके लिए धरने पर बैठे। राज्य के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर केद्र को भेजा गया, जो अभी तक लंबित हैं बिहार की 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है। वैसे ही राज्य का आधे से अधिक भू-भाग प्रतिवर्ष बाढ़ की मार झेलने को मजबूर है और शेष भाग में सूखे की स्थिति बनी रहती है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से कोई भी कल-कारखाने नहीं लगे हैं, मात्र बाढ़ पावर प्लाण्ट एवं नालंदा में एक आयुध फैक्ट्री व रेल कारखाना ही है। विगत आम चुनाव के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य की जनता को पूर्ण भरोसा दिया था कि बिहार को अगर किसी में विशेष राज्य को दर्जा देने की ताकत है, तो वह सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अब सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, फिर भी बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य के प्रति उदासीनता समझ से परे है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष राज्य को दर्जा दिए जाने से वहाँ बहुमुखी विकास देखा जा रहा है। इसी क्रम में अन्य पिछड़े राज्यों से भी इस प्रकार की माँगें आ रही हैं। वह सर्वथा उचित है। पिछड़े राज्यों की जनता को भी न्याय मिलना ही चाहिए।

अतः केद्र सरकार से माँग करता हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर यहाँ भी टैक्स की छूट मिले, जिससे कि राज्य में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके और हम भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर राज्य एवं देश को आगे बढ़ाने में सरकार की मदद कर सकें।

(xxiii) Need to protect interests of small and marginal farmers of Kerala from the possible repercussions of the proposed Regional Comprehensive Economic Partnership

SHRI JOSE K. MANI (KOTTAYAM): The Centre plans to enter into trade agreement with the ten ASEAN nations and the countries of China, Japan, South Korea, Australia and New Zealand to form the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). In the light of this development, I would like to seek the intervention of the Government to address the possible repercussions of RCEP on the small and marginal farmers in the State of Kerala.

The plantation sector in the State of Kerala is already going through a crisis due to impact of various trade agreements. It is now feared that cheap imports of cash crops, milk products, rubber and tea will further aggravate the situation of the farmers. Especially, the small and marginal farmers engaged in the dairy industry will be hurt by the pressure of global competition. The dairy sector in Kerala is unique because it highly depends on the neighbouring States for all the cattle rearing inputs. This eventually translates into high production cost, making it tough for the sector to fight the cheap imports from other countries. The Centre must consider the impact that RCEP would have on various agro-based sectors by consulting the State Governments in order to protect the interests of farmers in the country.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 14th March, 2018 at 11a.m.

12 09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 14, 2018 / Phalguna 23, 1939 (Saka).

____